



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

“ShikshaSadan”, 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2015

दिनांक: 23 जनवरी, 2015

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 10/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध

सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तर-पूर्वी भारत की उपलब्धियों पर फिल्म निर्माण प्रतियोगिता 2015 का आयोजन |

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

छात्रों की रचनात्मक, संवेदनात्मक और विवेचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के प्रयास में तथा दूसरी संस्कृतियों के जीवन और अनुभवों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर-पूर्वी भारत के लोगों की परम्पराओं और संस्कृति के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने की ओर केन्द्रित है | बोर्ड केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्रों से 'लघु फिल्म निर्माण' प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित करता है | लघु फिल्म 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी एक में हो सकती है | प्रत्येक प्रविष्टि निम्न के साथ संलग्न हो:

- संलग्न प्रारूप पूर्ण रूप से भरा गया हो |
- यथोचित अनुमति पत्र अथवा यदि आवश्यक हो तो अधिकार प्रमाण -पत्र
- स्कूल प्रधानाचार्य से अनुप्रमाण-पत्र
- फिल्म की एक प्रति, डी.वी.डी. (DVD) वीडियो पर (.avi) प्रारूप में
- मोबाइल फोन पर बनाई गई फिल्में भी स्वीकृत होंगी |
- चयनित प्रविष्टियों की उचित मंच पर सूचना दी जायेगी अथवा फिल्म दिखाई जायेगी

चयनित प्रविष्टियों के पुरस्कार

- प्रथम पुरस्कार – 10,000 रु०
- द्वितीय पुरस्कार – 7,500 रु०
- तृतीय पुरस्कार – 5,000 रु०

सभी प्रविष्टियाँ एक सी डी में श्री संदीप सेठी, शिक्षा अधिकारी, तृतीय तल, कमरा नंबर 301, शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली -110002 को 20 फरवरी, 2015 तक पहुँच जानी चाहियें | कृपया नोट करें कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी |

विस्तृत ब्यौरे और प्रवेश-पत्र के लिए कृपया संलग्नक I और II को देखें | इस सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए निस्संकोच 001-23217128 पर संपर्क करें अथवा touchsandeep.sethi@gmail.com पर मेल भेजें |

हस्ताक्षरित/-

डॉ. साधना पाराशर

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 आर्मी एडुकेशन के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 12 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 13 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 14 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 17 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 18 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 19 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 21 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 22 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 23 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 24 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 25 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसंधान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 26 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 27 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)